भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–77/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
14.08.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 28.9.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 28.9.18 को उपस्थापित करें । (हस्ताक्षर) 14.8.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
28.09.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल चक्रधरपुर, के पत्रांक–1012, दिनांक–22.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 25.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका **आरती कुमारी उर्फ श्रीमती आरती नायक**, पति– **श्री टिकम प्रसाद**, जाति– **गोंड (अ०ज०जा०)**, ग्राम– **वार्ड नं0–06, समीप मारवाड़ी उच्च विद्यालय**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 को धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– **वार्ड नं0–06**, खाता सं0– **29**, प्लॉट नं0– **85**, **रकवा– 0.10 ए0**, आवासीय भूमि क्रेता **श्रीमति मुनी बोदरा**, पति– **श्री दुर्गा बोदरा**, जाति– **हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम– **लौड़िया**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदिका **आरती कुमारी उर्फ श्रीमति आरती नायक**, पति– **श्री टिकम प्रसाद**, जाति– **गोंड (अ०ज०जा०)**, ग्राम– **वार्ड नं0–06, समीप मारवाड़ी उच्च विद्यालय**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** पंजी–II रैयत है एवं उनके दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **चक्रधरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। विक्रेता का जाति– **गोंड (अ०ज०जा०)**, एवं क्रेता का जाति **हो (अ०ज०जा०)**, समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि 12,50,000 (बारह लाख पचास हजार) रूपये की आवश्यकता होने के कारण बेचना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **श्रीमती मुनी बोदरा**, पति– **श्री दुर्गा बोदरा**, जाति– **हो (अ०ज०जा०)**, ग्राम– **लौड़ीया**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित (हस्ताक्षर) 28.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। (हस्ताक्षर) 28.9.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	